

FORM No. III

फर्द अहकाम  
(नियम 26)

पालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

बनाम ..... कुलाय .....  
 नं. .... 16 ..... सन् 2011 .....  
 पुस्तक नं. .... 67 .....

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालिका में जारी हुए
<p>13-8-21</p> <p><del>कोविड</del> महामारी <u>COVID-19</u> से होने वाले संक्रमण को रोकने हेतु केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन की पालना में संसद पत्रावलियों में इफजाही तारीख पेशीयों देने पर पत्रावली आज पेश हुई। बकुलाय फरीफोन उपस्थित पीठासीन अधिकारी दौरे/मीटिंग/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक <u>4-10-21</u> को पेश हो।</p> <p>22.10.2021</p> <p>पत्रावली आज प्रशासन गांवों के संग अभियान-2021 के तहत आयोजित शिविर ग्राम पंचायत-बागरियावास में पेश हुई। वादी पक्षकार उपस्थित। उपस्थित वादी/प्रार्थी नागरमल की पहचान श्री केसर सिंह शेखावत, सरपंच, ग्राम पंचायत बागरियावास के द्वारा की गई। वादी/प्रार्थी ने उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र बाबत वाद पत्र को आगे नहीं चलाकर इसी स्तर पर विद्वा कर खारिज किये जाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी पक्षकार के निवेदन पर वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विद्वा स्वीकार किया जाकर वाद पत्र को विद्वा कर खारिज किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली फैसले शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।</p> <p>(दिलीप सिंह)                  22/10/21                  उपखण्ड अधिकारी                  श्रीमाधोपुर (सीकर)                  कैम्प:-बागरियावास</p>	<p>5101CJm4184</p> <p>सरपंच                  पंचायत बागरियावास                  श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.</p> 